तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.9.19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष एकपक्ष। प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 212 RT Act का स्वीकार किया जाता है। मौजा कादूदा की आराजी सं. 150, 155, 158, 163, 978, 980, 981, 984, 985, 993, 1983/154, कुल किता-11 कुल रकबा 5.17 हे० भूमि में विहित प्राणी के हक हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं करने या अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ रहे। ह० 26/9/19	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
प्रा.पत्र संख्या :: 140/2017

शम्भुलाल पिता बंशीलाल जाति सुथार निवासी काटुन्दा हाल मुकाम पुलिस थाने के सामने विजौलिया तहसील विजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) प्रार्थी

बनाम

1. बंशीलाल पिता गिरधारी लाल सुथार निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ
2. सत्यनारायण पिता बंशीलाल सुथार निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ
3. गोपाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ
4. रतनलाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी काटुन्दा तहसील बेगूँ हाल मुकाम चारभुजा फर्निचर, तेजाजी चौक, विजौलिया तह0 विजौलिया जिला भीलवाडा
5. कला पत्नि नारायण सुथार निवासी चावण्डिया पोस्ट खेडी तह0 बेगूँ
6. भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थित :: श्री एम.डी.शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री डी.आर.धाकड
अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 26.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा काटुन्दा प0ह0 काटुन्दा तहसील बेगूँ के खतौनी संख्या 49 में वर्णित निम्न आराजी में प्रार्थी के पिता विपक्षी सं. 1 बंशीलाल पिता गिरधारी सुथार के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर में
49	150	1.0400
	155	0.5200
	158	0.5900
	163	0.8300
	978	0.2800
	980	0.4500
	981	0.1400
	984	0.3000
	985	0.1400
	99	0.1100
	1983/154	0.7700
	किता–11	5.1700 हैक्टर

उक्त कृषि आराजीयात पैत्रक होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक सम्पति है जिस पर मेरा जन्म से ही अधिकार समाहित है, जिसके कारण ही मै अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहा हूँ। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त आराजीयात जो विपक्षी सं. 1 के हक हिस्से की है, विपक्षी सं. 2 से 5 को वसीयत करने, दान करने या अन्य किसी माध्यम से उक्त कृषि आराजीयात को हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है क्यो कि पैत्रिक सम्पति के प्रत्येक हिस्से पर मुझ प्रार्थी का भी जन्म से ही अधिकार है। उक्त आराजीयात से विपक्षी सं.1 मुझ प्रार्थी को वंछित नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सावित है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 4 आपस में उक्त आराजीयात का मौखिक विभाजन करके अपने अपने हिस्से में खेती करते आ रहे है, परन्तु दिनांक 22.10.2017 को विपक्षी सं. 1 से 4 हमसलाह होकर मेरे हिस्से की आराजीयात पर आकर मेरे साथ गाली गलोच करने लग गये एवं मुझे मेरे हिस्से की जमीन से बेदखल कर उक्त समस्त भूमि जो विपक्षी सं. 1 केक नाम दर्ज रेकार्ड है को विपक्षी सं. 2 से 4 के वसीयत दान या अन्य किसी माध्यम से हस्तान्तरित करवाने बाबत कहा और कहा कि अब तू उक्त कृषि आराजीयात पर आना जाना बन्द कर दे अब तेरा यहॉ कुछ भी नहीं है एवं कहा कि काश्त करनी है तो अपने पैसो से अन्य जगह जमीन खरीद कर काश्त करना कहकर मुझ प्रार्थी को विपक्षी सं. 1 से 4 ने मिलकर खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया व मुझे उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात जो पैत्रिक सम्पति होकर विरासत से वारिसान के नाम चली आ रही है एवं उक्त आराजीयात का प्रार्थी भी एक वारिस है, विपक्षी संख्या एक प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहता है जिसकी पूति अर्थ में कदापी संभव नहीं है।

विपक्षी सं. 1 द्वारा अगर उक्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर वंचित करने का प्रयास किया जाता है तो प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी, इसके विपरित विपक्षीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। अनावष्यक मुकदमे बाजी बढ जायेगी इसलिए मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी संख्या एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात को विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी सं. 2 से 5 व अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर किसी भी माध्यम से हस्तान्तरित न करें व विपक्षी सं. 2 से 5 तक को मेरे हिस्से की आराजीयात पर अनाधिकृत प्रवेश कर मेरी फसल आदि को नष्ट करने का प्रयास ना करें।

अतः न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्िना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या एक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित विपक्षी संख्या एक के हक हिस्से की आराजीयात को विपक्षी संख्या 2 से 5 व अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर किसी भी माध्यम से हस्तान्तरित न करें व विपक्षी संख्या 2 से 5 तक को मेरे हिस्से की आराजीयात पर अनाधिकृत प्रवेश कर मेरी फसल आदि को नष्ट करने का प्रयास ना स्वयं करें न ही अपने नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण के मूल वाद में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी.आर. धाकड द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया, इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में अधिवक्ता विपक्षीगण को जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर जवाब विपक्षीगण संख्या 1 से 5 तक का बंद किया गया, पत्रावली में विपक्षीगण संख्या 6 भूमिधारी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादी मुताबिक अभिलेख खातेदार नहीं है। अतः 212 आर.टी. एक्ट के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

पत्रावली में विपक्षीगण संख्या 1 से 5 तक का जवाब बंद किया जाने व विपक्षी संख्या 6 भूमिधारी का जवाब रिकोर्ड पर प्राप्त होने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस प्रार्थाना पत्र 212 आर. टी.एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए वर्णित भूमि को पैतृक भूमि बताया गया तथा प्रार्थी का हिस्सा जन्म से ही होना बताते हुए विपक्षी संख्या एक को प्रार्थी के हिस्से की आराजी का हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया है, विपक्षीगण अधिवक्ता श्री डी.आर.धाकड में बहस में हिस्सा लेते हुए निवेदन किया है कि मुझ विपक्षीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब नहीं दिया गया है किन्तु मैं प्रार्िना पत्र की बहस में हिस्सा ले सकता हूँ। विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी खातेदार नहीं है उनका नाम खाते में नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा आराजी पर कब्जा काश्त भी प्रार्थी का नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। पुनः बहस में प्रार्थी ने निवेदन किया कि लिखित अभिकथन नहीं किया है यह तथ्य मौखिक रूप से मान्य नहीं होता है ना ही कोई शपथ पत्र ही दिया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

....लगातार

Scanned by CamScanner

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के उपरान्त हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया , प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 27 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया वर्णित आराजी मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 150, 155, 158, 163, 978, 980, 981, 984, 985, 993, 1983/154 किता–11 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री उँकार गीता कजोडी पिता हजारी 1/3,कालू पिता उदा 1/3, बंशीलाल कन्हैयालाल सोहनीबाई शांतिबाई पिता गिरधारी 4/15, कृश्णकान्त पत्नी प्रकाश 1/90, शिवलाल सुनिल मंजू अंजना पिता मोहनलाल कंकू पत्नी मोहनलाल 1/18 सुथार सा.देह खातेदार रहन हिस्सा कन्हैयॉलाल का ग्रा0से0स0लि0काटून्दा, रहन शिवलाल सुनिल मंजु अंजना व कंकूबाई, उँकार गीता कजोडी का चि.स.भु.वि. बैंक.लि. चि. शाखा बेगूँ रहन हिस्सा बंशीलाल का ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा बिछोर के नाम पर दर्ज है।

जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि नामा. सं. 9224 निर्णय दिनांक 15.07.2015 रहनमुक्त से हिस्सा उँकार गीता कजोडी का रहनमुक्त हुआ। नामा.सं. 2935 निर्णय दिनांक 24.07.2015 बेचान से खाते में उँकार गीता कजोडी पिता हजारी 1/3 के स्थान पर भंवरीबाई पति रामचन्द्र धाकड सा. मेघनिवास 16/129 उँकार गीता कजोडी पिता हजारी 27/129 सुथार दर्ज हुआ शेष बदस्तूर। नामा.सं. 2937 निर्णय दिनांक 24.07.2015 हकत्याग से गीता कजोडी के द्वारा करने से खाते में उँकार पिता हजारी 27/129 दर्ज हुआ। नामान्तरण सं. 3005 निर्णय दिनांक 12.12.2015 हकत्याग से खाता कृष्णाकान्ता पति प्रकाश 1/90 शिवलाल सुनील मंजू अंजना पिता मोहनलाल कंकू पत्नी मोहनलाल 5/90 के बजाय शिवलाल सुनिल पिता मोहनलाल 1/15 दर्ज हुआ तथा ना.सं. 3303 दिनांक 19.09.2017 से हिस्सा बंशीलाल का रहन मुक्त हुआ का अंकन किया हुआ है।

उक्त खाते की गत जमाबंदी सम्वत 2021 की छायाप्रति भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें वर्णित आराजी श्री हजारी गिरधारी कालू पिता उदा जाति सुथार सा.देह हिस्सा बराबर खातेदार होने का अंकन किया हुआ है। गत जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी गिरधारी का पोत्र होना सिद्ध है। तथा प्रार्थना पत्र वर्णित आराज़ीयात़ पैतृक आराजी होना भी प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 150, 155, 158, 163, 978, 980, 981, 984, 985, 993, 1983/154 किता–11 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर भूमि में निहित प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने या अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किया जाने हेतु विपक्षी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

26/9/19

(रमेश सीरवी मुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

Scanned by CamScanner